COURT FEE 2 Rs. INDIA दो रुपया TWO RUPEES

COURT FEE 5 Rs. INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देन की तारीख Date of which application is made for copy accompanied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचा की तारीख ateD of posting notice on notice board.	नकल वापिस दिए जाने की तारीख Date of delivery of copy.	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official d elivering copy.
3.7.07	3.7.07	3.7.07	[illegible] 3/7/07

नकल आदेश दि० 13-6-07 [illegible] नं०- 143
[illegible]
[illegible] न्यायालय उपजिला
धिकारी [illegible] वाराणसी।

न्यायालय उप जिलाधिकारी (पिण्डरा), वाराणसी ।

वाद संख्या 8 सन् 2007

आर्यावर्त विज्ञान पीठ,
27/85 बी0 जगतगंज,
वाराणसी बजरिए चेयर मैन,
आनन्द कुमार पाण्डेय ------ बनाम------ सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्य0
अधिनियम । ग्राम सरायतक्की परगना
अठगावाँ तहसील पिण्डरा जिला वाराणसी

आदेश

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, पिण्डरा, वाराणसी से आख्या प्राप्त की गयी । तहसीलदार, पिण्डरा द्वारा निरीक्षणोपरान्त नियम 135 (1) ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आख्या प्रेषित की गयी, जिसमें आराजी नम्बर 101 रकबा 0-936 हे0 स्थित ग्राम सराय तक्की परगना अठगावाँ मौके पर गैर कृषि प्रयोजन के लिए प्रयोग में है । उक्त भूखण्ड बाउण्ड्री वाल से घिरा हुआ है तथा दो मंजिला विद्यालय का भवन निर्माण हो रहा है । ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत भूमि का प्रयोजन आबादी का हो चुका है । इसे धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक (आबादी) घोषित किए जाने में कोई वैधानिक अवरोध प्रतीत नहीं होता है ।

अतः ग्राम सरायतक्की परगना अठगावाँ तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी में स्थित आराजी नम्बर 101 रकबा 0-936 हे0 पर आ। दक का नाम यथावत् रखते हुए भूराजस्व से मुक्त करके आबादी घोषित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति उप निबंधक, वाराणसी को नियम 137 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किए जाने हेतु प्रेषित कर दिया जाय । तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 13-6-2007

13/6/07
(टी. एन. त्रिवेदी),
उप जिलाधिकारी (पिण्डरा),
वाराणसी ।

छायाप्रति
प्रमाणित
23/12/07